

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट-सराहनीय कार्य दिनांक 10.09.21

थाना रोजा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी,

अन्तर्राज्यीय बावरिया गिरोह के 04 सदस्य पुलिस मुठभेड के दौरान गिरफ्तार,

***सोने के 10 ग्राम जेवरात व चाँदी की लगभग 03 किलो जेवरात व 01 अदद तमंचा, 02 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस 315 बोर व 08 अदद मोबाइल फोन सहित चोरी के**

अन्य उपकरण बरामद ।*

दिनांक 3/4-09-21 की रात्रि बरतारा मार्केट मे मयंक प्रताप सिंह पुत्र जयवीर सिंह निवासी रझौआ कला की बरतारा स्थित ज्वैलर्स शाप मे पीछे के रास्ते अज्ञात चोरों द्वारा नकब लगाकर तिजोरी तोड़कर सोने चाँदी के जेवरात चोरी कर लिये गये थे । जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 538/21 धारा 457/380 भा.द.सं. बनाम अज्ञात पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित थी ।

इसी क्रम मे श्री एस. आनन्द, पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर के निर्देशानुसार जनपद मे अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे, श्री संजय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण मे व श्री प्रवीण कुमार, क्षेत्राधिकारी सदर के निर्देशन मे थाना रोजा पुलिस को टीम गठित कर घटना का शीघ्र अनावरण करने हेतु निर्देशित किया गया ।

दिनांक 09/09/2021 को थानाध्यक्ष, जयशंकर सिंह के नेतृत्व मे थाना रोजा की पुलिस टीम द्वारा शाम करीब 19.30 बजे मुखबिर की सूचना व निशांदाही व सर्विलांस के आधार पर सीतापुर रोड स्थित जमुका तिराहे के पास पुलिस मुठभेड के दौरान 04 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1. रघुवीर 2. पंकज 3.मंगल 4.पंकज उर्फ नेमपाल को गिरफ्तार किया गया । जिनके कब्जे से सोने के 10 ग्राम जेवरात व चाँदी की लगभग 03 किलो जेवरात व 01 अदद तमंचा 315 बोर , 02 अदद जिन्दा कारतूस, 01 अदद खोखा, 08 अदद मोबाइल फोन , चोरी के उपकरण- सब्बल , आला नकब टार्च आदि , बरामद हुआ । अभियुक्तगण के विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. रघुवीर पुत्र सिंधी निवासी रमपुरा थाना पसगंवा जिला खीरी ।
2. पंकज पुत्र वीजेन्द्र निवासी रमपुरा थाना पसगंवा जिला खीरी ।
- 3.मंगल पुत्र वीजेन्द्र निवासी रमपुरा थाना पसगंवा जिला खीरी ।
- 4.पंकज उर्फ नेमपाल पुत्र करन सिंह निवासी लक्ष्मणपुर गोटिया थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर ।

बरामदगी-

1. सोने के 10 ग्राम जेवरात व चाँदी की लगभग 03 किलो जेवरात
- 2.एक अदद तमंचा 315 बोर
- 3.दो अदद जिन्दा कारतूस
- 4.एक अदद खोखा कारतूस
5. आठ अदद मोबाइल फोन
- 6.चोरी के उपकरण- सब्बल
7. आला नकब टार्च आदि

गिरफ्तारी पूछताछ- दिनांक 09.09.2021 की शाम करीब 19.00 बजे मुखबिर की सूचना के आधार पर व अंतर सर्विलांस से लोकेशन प्राप्त हुआ कि बावरिया गिरोह के 04 अन्तर्राज्यीय अभियुक्त क्रमशः 1. रघुवीर पुत्र सिंधी 2. पंकज पुत्र वीजेन्द्र 3. मंगल पुत्र वीजेन्द्र निवासीगण रमपुरा थाना पसगंवा जिला खीरी 4. पंकज उर्फ नेमपाल पुत्र करन सिंह निवासी लक्ष्मणपुर गोटिया थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर जमुका तिराहे पर मौजूद हैं जो कि मयंक ज्वैलर्स बरतारा के यहां चोरी से प्राप्त जेवरात का बटवारा करके सीतापुर होते हुए लखनऊ के रास्ते पंजाब भागने की तैयारी में हैं। इस सूचना पर थाना प्रभारी जयशंकर सिंह, उ.नि. अनित कुमार, उ.नि. राजेश बाबू मिश्रा मय टीम के चारों को रोका व टोका तो एक राय होकर पुलिस पर जान से मारने की नियत से रघुवीर ने फायर कर दिया, जिससे पुलिस पार्टी बाल बाल बच गयी तथा चारों को ही आवश्यक बल प्रयोग करके जमुका तिराहे के पास 01 अदद तमंचा 315 बोर, 02 अदद जिन्दा कारतूस, 01 अदद खोखा, 08 अदद मोबाइल फोन, चोरी के उपकरण- सब्बल, आला नकब टार्च आदि, चाँदी की लगभग 03 किलो जेवरात व सोने के 10 ग्राम जेवरात के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में ज्ञात हुआ कि इस गिरोह के सरगना रघुवीर द्वारा दिनांक 02/09/2021 को मयंक ज्वैलर्स बरतारा के दुकान की रैकी की गयी तथा चोरी की योजना बनाई गयी। दिनांक 3/4-9/2021 को रात्रि लगभग 08.00 बजे चारों रेलवे लाईन बरतारा के किनारे झाड़ियों में छिपे रहे। रात्रि 11.00 बजे नकब लगाकर लकड़ी की फैक्ट्री के अन्दर होते हुए ज्वैलर्स शाप की पिछली दीवार को तोड़ दिये तथा दुकान में घुसकर बेहद शातिराना ढंग से तिजोरी का लॉक तोड़कर उसमें रखे सोने चाँदी के जेवरात चोरी करके पुनः रेलवे लाईन के किनारे आकर झाड़ियों में छिपे रहे। सुबह होने पर दो-दो की संख्या में अलग-अलग वाहनो से अपने गांव रमपुरा चले गये। संपूर्ण माल का बटवारा करके पुलिस गिरफ्तारी से बचने हेतु यह लोग माल बेचने पंजाब जा रहे थे। प्रायः यह लोग चोरी किये गये माल को अन्य जनपद या अन्य प्रदेश में बेचते हैं और ज्यादातर घटनाएँ जनपद से बाहर व अन्य राज्यों में करते हैं। घटना के समय रघुवीर और पंकज दुकान के अन्दर गये जबकि अन्य दो साथी बाहर आने जाने वाले लोगों पर निगरानी कर रहे थे। पुलिस के आने या जनता के लोगों के जाग जाने पर यह लोग अपनी भाषा में जानवरों की तरह आवाज निकालकर और पत्थर बजाकर दुकान के अन्दर चोरी कर रहे साथी को एलर्ट कर देते हैं। घटना करने हेतु घटना से पहले घटना स्थल की रैकी करते हैं। गिरोह का सरगना रघुवीर संपूर्ण माल में से आधा भाग स्वयं लेता है क्योंकि वही तिजोरी तोड़ने लॉकर तोड़ने और नकब लगाने में माहिर है। तथा दुकान के अन्दर वही जाता है। इस गिरोह में तीन – चार अन्य सदस्यों के होने की बात भी पूछताछ से ज्ञात हुई है। जिनके सम्बन्ध में गोपनीय सूचना एकत्र कर गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरोह के बारे में अन्य जनपदों तथा अन्य राज्यों में पंजीकृत अभियोगों के सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1. थाना प्रभारी जयशंकर सिंह | 2. उ0नि0 अनित कुमार | 3. उ.नि. राजेशबाबू मिश्रा |
| 4. हे0का0 विजय प्रताप सिंह | 5. का0 मोहसिन उस्मानी | 6. का0 हर्ष मिश्रा |
| 7. का0 मयंक | 8. का0 संजीव (सर्विलांस) | 9. का0 अजय (सर्विलांस) |